न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सविता शर्मा, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :– 193 / 2023
GCMS NO. 2023/547

1. अंजना पत्नि राजेन्द्र सिंह मीना
2. रिंकू कुमारी मीना पत्नि विजेन्द्र कुमार
   जाति मीना निवासीगण सिहोड़, तहसील खेतडी जिला नीम का थाना (राज0)

..............वादियागण

ब–ना–म

1. आशा पुत्री सुवा
2. कविता पुत्री सुवा
3. गिरधारी पुत्र प्रभातीराम
4. गोकल पुत्र गणपत
5. गोपीचन्द पुत्र बीरबल
6. चौथी पत्नि बीरबल
7. छोटी देवी पत्नि कानाराम
8. ताराचन्द पुत्र गुल्लाराम
9. तीजा देवी पत्नि उमराव
10. दुर्गाप्रसाद पुत्र प्रहलाद
11. दौलतराम पुत्र मातादीन
12. नितू पुत्री कैलाश
13. प्रेम देवी पत्नि स्व0 सुवा
14. परमानन्द पुत्र रामनारायण
15. मामराज पुत्र रामनारायण
16. विमला पुत्री कैलाश
17. मुकेश कुमार पुत्र सवा
18. मनभरी देवी पत्नि कैलाश
19. मेवा देवी पत्नि गिरधारी लाल
20. रणवीर पुत्र प्रहलाद
21. रोहताश पुत्र गुल्लाराम
22. लाली पुत्री कैलाश
23. विनोद कुमार पुत्र सुवा
24. संजय कुमार मीना पुत्र ओमप्रकाश मीना
25. सतवीर सिंह पुत्र मातादीन
26. संतरा पत्नि कैलाश
27. सुमित्रा पुत्री सुवा
28. सुरेश कुमार मीणा पुत्र कानाराम
29. सविता पुत्री सुवा
30. रमेश पुत्र रामचन्द्र

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

31. सुमन पुत्री रामचन्द्र
जाति मीना (मीणा) निवासीगण सिहोड़, तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

32. इण्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबन्धक

33. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

दावा – खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री धर्मपाल खटाणा अभिभाषक वादियागण

–: <u>निर्णय</u> :– दिनांक :– 09.07.2024

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 28.05.2024 को पारित कर तहसीलदार खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि वाके ग्राम **सिहोड़** पटवार हल्का सिहोड़ तहसील खेतड़ी हाल जिला नीमकाथाना राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के हाल खाता संख्या 37 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 588, 596, 620, 621, 622, 625, 628, 631, 633, 634 कुल किता 10 कुल रकबा 3.54 हेक्टेयर में वादियागण के संयुक्त 1/15 हिस्से की भूमि का 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम करते हुये मौका कब्जा काश्त के अनुसार खाता अलग कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष पक्षकारान का खाता संयुक्त रखा जावे। तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को 1000 रू. के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है, कि वे पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प. 3 (17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30–09–2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्य नजर रखते हुये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05–10–2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र इस न्यायालय में भिजवायें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध प्रस्तावित किया जावे।

तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू.अ./2024/2262 दिनांक 27.06.2024 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.06.2024 का अधिवक्ता वादियागण को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता वादियागण सुनी गई। अधिवक्ता वादियागण ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.06.2024 के मुताबिक वाद वादियागण अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सविता शर्मा, आर.ए.एस.

अंजना आदि

............वादियागण

ब–ना–म

आशा आदि

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955
मुकदमा नम्बर :– 193/2023
GCMS NO. 2023/547
निर्णय दिनांक :– 09.07.2024

वादियागण की ओर से **श्री धर्मपाल खटाणा एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **कोई नहीं** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **09.07.2024** को **सविता शर्मा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादियागण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.06.2024 (प्रदर्श–'अ–1 से 10' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से 10' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतड़ी मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **09.07.2024** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

9/7/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला–नीमकाथाना (राज.)